



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/129

मुद्रा वि (सीसी) सं. एस 3811/03.51.001/2024-25

24 मार्च 2025

मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक

महोदया/ महोदय

31 मार्च 2025 को मुद्रा तिजोरी का संचालन

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जारी किए [परिपत्र क्र. एसओजी \(एलईजी\) सं. 59/09.08.024/2024-25](#) के अनुसार बैंकों के सभी शाखाओं को लेनदेन के लिए 31 मार्च 2025 (सोमवार – सार्वजनिक अवकाश) को खुले रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित सरकार की लेनदेन की प्राप्ति और भुगतान का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में पूरा हो सके। चूंकि ऐसे लेनदेन के लिए मुद्रा तिजोरी के संचालन की आवश्यकता अपरिहार्य हो सकती है, बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्रा तिजोरी, सामान्य कार्य दिवस की तरह खुली रखें।

2. मुद्रा तिजोरी धारित बैंक संबद्ध शाखाओं (Linked branch) को आवश्यकतानुसार सूचित करें।

भवदीय,

(संजीव प्रकाश)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक